

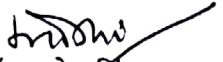
पूर्व मध्य रेल
परिचालन संरक्षा चेतावनी सं 01/2025
OPERATING SAFETY ALERT NO. 01/2025

विषय:- सोनपुर मंडल के भगवानपुर स्टेशन पर रेलपथ मशीन के शंटिंग के दौरान अवपथन होने के सम्बन्ध में ।

दिनांक 23.12.2024 को सोनपुर मंडल के भगवानपुर स्टेशन पर लाइन नं 05 से मुजफ्फरपुर की तरफ से शंटिंग कर DGS+MFI+BCM मशीन को लाइन नं 1 में लेने के पश्चात् 10:20 बजे डाउन लाइन में मुजफ्फरपुर की तरफ कार्य करने हेतु ब्लॉक माँगा गया । कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा लाइन नं 01 से लाइन नं 02 में MFI +DGS मशीन लेने हेतु शंटिंग आदेश जारी किया गया था । शंटिंग कार्य हेतु शंट सिगनल को ऑफ किया गया, जिसका पालन करते हुए हाजीपुर साइड से DGS मशीन शंट सिगनल के रूट को पार कर मेन लाइन में खड़ी हो गई । दूसरे मशीन के द्वारा पहली मशीन के जाने के बाद मूवमेंट नहीं किया गया और यह कुछ समय तक यथावत खड़ी रही । फलतः शंट सिगनल का रूट रिलीज होने के साथ ही कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा, बिना यह सुनिश्चित किये कि दोनों मशीन मेन लाइन में आ गई है, EI पैनल द्वारा कांटा सं. 57 को नार्मल का command दे दिया गया । जब तक पॉइंट्स ऑपरेट होता तब तक MFI मशीन आगे बढ़ गया किन्तु दो चक्का ट्रैप स्विच पर पहुँच गया था और उसी समय कांटा सं. 57 नार्मल हो गया, जिसके कारण MFI मशीन अवपथित हो गया ।

इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरती जानी चाहिए :-

1. एक साथ एक से अधिक रेल पथ मशीनों को CONVOY में स्टेशन से खुलाने या स्टेशन में प्रवेश कराने के समय संबंधित कॉट को क्लैप किया जाना चाहिए और अंतिम मशीन के चले जाने / प्रवेश कर जाने के बाद ही संबंधित कॉट के क्लैप को खोला जाना चाहिए ।
2. रेल पथ मशीन या मशीनों के शंटिंग के समय शंटिंग का पूरा विवरण लिखित रूप में संबंधित रेलपथ निरीक्षक अथवा मशीन पर्यवेक्षक से लेकर शंटिंग आदेश, जहाँ आवश्यक हो, जारी किया जाना चाहिए तथा मशीन ऑपरेटर तथा संबंधित शंटमैन/पॉइंट्समैन को अच्छी तरह से पूरे मूवमेंट का विवरण समझा दिया जाना चाहिए ।
3. यदि एक से अधिक रेल पथ मशीनों के शंटिंग की आवश्यकता हो, तो उस स्थिति को छोड़कर, जिसमें कि सभी मशीन एक साथ जुड़े हों, उसे एक यूनिट मानकर शंटिंग किया जाएगा, अन्यथा प्रत्येक रेलपथ मशीन को एक अलग वाहन माना जायेगा और प्रत्येक के लिए शंटिंग की प्रक्रिया अलग-अलग करनी चाहिए, अर्थात एक मशीन की शंटिंग प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही दूसरे मशीन को शंटिंग हेतु आदेशित किया जाना चाहिए ।


(डॉ० मनोज सिंह)
प्रधान मुख्य परिचालन प्रबन्धक
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

सं. ईसीआर/परि. संरक्षा/ चेतावनी/73/505

दिनांक 03.01.2025

प्रतिलिपि :-

1. सचिव महाप्रबंधक/पूमरे, हाजीपुर- महाप्रबंधक महोदय को सादर सूचनार्थ ।
2. प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी/पूमरे, हाजीपुर को सूचनार्थ ।
3. मंडल रेल प्रबंधक- धनबाद, डी.डी.यू. सोनपुर, समस्तीपुर एवं दानापुर को सूचनार्थ ।
4. वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक- धनबाद, डी.डी.यू. सोनपुर, समस्तीपुर एवं दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।